(2) (15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 778--पीबीआर / 2008, विरूद्ध आदेश दिनांक 17--04--2008 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 209 / 2006-07 / अपील तथा प्रकरण क्रमांक 208 / 06-07 / अपील.

....

छोटइयां (फोत) द्वारा वारिसान:--

1 राजाराम पुत्र छोटइयां
2 प्रकाश उम्र 15 वर्ष नाबालिक पुत्र छोटइयां सरपरस्त भाई राजाराम
3-- सिकन्दर
4-- सुखवीर नाबालिक पुत्र राजाराम, सभी जाति धोवी
निवासीगण--ग्राम मुगावली परगना व
जिला- मुरैना, म0प्र0 .... आवेदकगण

विरूद्ध

हाकिम सिंह फोत वारिसान:--

1-- रमेश
2-- अशोक
3-- महेश
4-- दिनेश पुत्रगण हाकिम सिंह
5 गुड़ियॉ पुत्री हाकिम सिंह
6 श्रीमती रामकटोरी विधवा पत्नी हाकिम सिंह

उत्तम सिंह पुत्र भीखाराम (मृतक वारिसान):-

7-- श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व0 श्री उत्तम सिंह
8-- श्रीमती ऊषा पुत्री उत्तम सिंह
9-- पंचम सिंह पुत्र उत्तम सिंह
10- पिन्टू सिंह पुत्र उत्तम सिंह
निवासीगण--ग्राम मुगावली परगना व
जिला--मुरैना, म0प्र0 .... अनावेदकगण

....

श्री अनुप गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मनमोहन सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, जिला–मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–04–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील मुरैना के ग्राम मुंगावली में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 719 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का अभिलिखित भूमिस्वामी गजुआ पुत्र फौसू था । गजुआ पुत्र फौसू ने रुपये 500/– प्रतिफल प्राप्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि मौखिक अनुबंध पर अनावेदक हाकिम सिंह को संवत 2032 में जुतवा दी है । मौखिक अनुबंध के आधार पर हाकिम सिंह द्वारा विवादित भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने बावत एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/88–89/अ-46 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30–03–89 से अनावेदक हाकिम सिंह के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–03–1989 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 38/1989 90/अपील माल पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 25–02–1991 द्वारा स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–03–89 निरस्त किया गया और प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । विचारण न्यायालय को प्रकरण पुनः वापस प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09–11 2006 से विवादित भूमि पर गजुआ के स्थान पर आवेदक छोटइया के नाम सजरा खानदान के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–11–06 से दुखी होकर अनावेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 30–03–2007 द्वारा निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर अनावेदकगण ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के यहाँ अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3. आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन एवं उपलब्ध दस्तावेजो एव मौखिक साक्ष्य के आधार पर दिये गये तथ्यात्मक सही निर्णय में हस्तक्षेप कर अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप कर आलोच्य आदेश प्रसारित किया गया है जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक अनुबंध के आधार पर भूमिस्वामी एवं नामांतरण किये जाने का आदेश प्रसारित किया है जो कि विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का भी समझने में कानूनी भूल की गयी है कि दस्तावेजी साक्ष्य को निर्मूल करने के लिए मात्र मौखिक साक्ष्य सम्पूर्ण नहीं है जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि पुनरीक्षणकर्तागणों का नामांतरण आदेश ठोस दस्तावेजी साक्ष्य वसीयतनामा एवं सजरा खानदान के आधार पर किया गया है तब मात्र मौखिक अनुबंध के आधार पर नामांतरण आदेश किया जाना विधि एवं प्रक्रिया की दृष्टि से दूषित आदेश होने से आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी बताया कि अनावेदक हाकिम सिंह द्वारा संहिता की धारा 169, 190, तथा 110 के अंतर्गत भूमि स्वामी एवं नामांतरण प्राप्त किये जाने बावत आवेदन की निरस्ती से प्रभावित होकर अपील प्रस्तुत की गयी थी जबकि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों में मौखिक अनुबंध के आधार पर भूमि स्वामी एवं नामांतरण किया जाना संहिता में उपबंधित नहीं है इस कानूनी स्थिति पर विचार किये बिना आलोच्य आदेश प्रसारित किया है जो कि न्यायिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेश है । इस विधानिक स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समझने में वैधानिक त्रुटि की गयी है इस आधार पर आलोच्य आदेश विधि सम्मत आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17--04--08 को निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09--11--06 स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4. अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य की विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है । अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा प्रकरण मे उपलब्ध साक्ष्य की सही विवेचना एवं मूल्यांकन न करने तथा निकाले गये निष्कर्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होकर तथ्यात्मक रूप से विधिवत न होने से समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप करते हुये निर्णय प्रदान किया

है । जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पूर्णतः विधि सम्मत होकर कानूनी प्रावधानों के अनुसार दिया गया है जो स्थिर रहने योग्य है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण का विवादित भूमि पर मौखिक अनुबंध के आधार पर भूमि जुताने के कारण आदेश दिनाक 30–03–89 के द्वारा विधि अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व पर नामांतरण किये जाने का आदेश दिया गया है जो पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अनुसार अभिलेख एवं साक्ष्य पर आधारित होकर विधि सम्मत आदेष है । पुनरीक्षण आवेदन व्यर्थ एवं निरस्ती योग्य है । न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश पूर्णतः विधिसम्मत निर्णय है । निर्णय में वसीयत एवं सजरा के आधार पर नामांतरण के विषय में विस्तृत विवेचना दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य तथा अभिलेख के आधार पर की गई है । सजरा के आधार पर का नामांतरण विधि एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त कर मौखिक अनुबंध के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व पर नामांतरण का आदेश दिनांक 30–03–89 विधि सम्मत आदेश मान्य किया है जो स्थिर रहने योग्य है किसी हस्तक्षेप की आवष्यकता नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक अनुबंध के आधार विधि के प्रावधानानुसार धारा 169, 190, एवं 110 संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर विधि अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व पर नामांतरण किये जाने का आदेश दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण नहीं है तथा विधि अनुसार है एवं स्थिर रहने योग्य है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरर्थक है तथा अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः विधि, रिकार्ड एवं साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित होकर विधि सम्मत आदेश है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल मुरैना द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिनुकुल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

5 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया यह प्रकरण आलोच्य भूमि के नामांतरण के संबंध में है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उन्होंने अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि अभिलिखित भूमिस्वामी मृतक गजुआ द्वारा न्यायालय में अनुबंध होना स्वीकार किया गया था और उसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गजुआ के स्थान पर अनावेदक मृतक हाकिमसिंह के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया था । अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक छाटइयां के नाम पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के आधार पर स्वीकार किए गए नामांतरण आदेश को इस आधार पर विधिसम्मत नहीं

पाया है कि छोटइया द्वारा पहले वसीयत का सहारा लिया था और वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण निरस्त करने के बाद राजसा खानदान का सहारा लिया । वसीयतनामा जो पेश किया गया उसमें वसीयतकर्ता महिला सुमित्रा है तथा वारिसाना आवेदन जो पेश किया गया है उसमें आवेदक छोटइया ने गजुआ की बहिन का पुत्र होना बताया है । छोटइया उस समय भी वारिस का सहारा ले सकते थे जब अनावेदक हाकिमसिंह का नामांतरण हुआ था उस समय उत्तराधिकारी संबंधी कोई आपत्ति नहीं की गई । अपर आयुक्त का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर न्यायिक एवं विधिसम्मत है ।

6— अपर आयुक्त ने अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाया है कि छोटइया द्वारा राजीनामा पेश किया था जिसमें विवादित भूमि पर गजुआ के नाम नामांतरण में सहमति दी थी । उक्त राजीनामा 5-1-87 का है जिसमें उसके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उसे अमान्य समझी जावे । अर्थात दिनांक 5—1—87 के बाद किसी प्रकार की आपत्ति निरर्थक होगी । मृतक छोटइया द्वारा रजुआ के मरने के बाद आवेदनपत्र पेश किया गया है जिसे अपर आयुक्त ने रदता शून्य पाया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विचारण न्यायालय में आई साक्ष्य का भी उल्लेख किया है, जिसके अनुसार साक्षियों ने यह कथन किए गए हैं कि विवादित भूमि को गजुआ एवं सुमित्रा ने अनावेदक मृतक हाकिमसिंह को 500/- रूपये में जुताई के लिए दी थी । आवेदकों द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह माना जा सके कि विवादित भूमि को जुताई पर नहीं दिया । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त द्वारा यह मानकर कि विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य का भली—भांति परिशीलन नहीं किया, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उनका आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—04—2008 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर